प्रेस नोट थाना कोतवाली कांट

जनपद – शाहजहाँपुर (उ0प्र0)

सराहनीय कार्य दिनांक – 21/03/2025

थाना कांट पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

“थाना कांट पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 134/25 में हत्या की घटना को अन्जाम देने वाले दो नामजद अभियुक्तों को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के सतत मार्गदर्शन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना काँट द्वारा थाना हाजा की पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS में नामजद दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। दिनाँक 16/03/25 में वादी धनपाल पुत्र गिरवर निवासी ग्राम निवासी कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कांट में मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS बनाम 1. शिवराज पुत्र बालकराम 2. जगपाल पुत्र बालकराम 3. पवन पुत्र जगपाल 4. हंसू पुत्र जगपाल 5. रोहित(काल्पनिक नाम) बाल अपचारी 6. छविराम पुत्र जदुनाथ निवासीगण ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा मौजा यादव गौटिया थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर बावत वादी धनपाल के छोटे भाई राजकुमार को एक राय होकर लाठी डन्डो व हथियारो से लैस होकर जान से मारने की नियत से हमलावर होना व वादी के छोटे भाई राजकुमार की मारपीट करके हत्या कर देना तथा वादी के साथ मारपीट करना, वादी के परिवार वालो के साथ गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने के संबंध में पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना तथ्य प्रकाश में आये हैं कि अभियुक्तगण के घर पर चोरी हुई थी जिसमें अभियुक्तगण की एक रायफल 315 बोर व एक DBBL चोरी हुई थी। DBBL के साथ जेवर व बर्तन चोरी हुए थे जिसमें वर्ष 2008 में मु0अ0सं0 598/08 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। जिसमें मृतक राजकुमार उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था व अभियुक्तगण के चोरी गये असलहे नहीं मिले थे। इसी अदावत के चलते अभियुक्तगण शिवराज आदि उपरोक्त द्वारा उक्त घटना कारित होने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। घटना कारित करने के उपरान्त फरार अभियुक्तगण की गिफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित कर अथक प्रयास किये गये। थाना कांट की पुलिस टीम द्वारा लगातार गिरफ्तारी के किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप आज दिनाँक 21/03/25 में दो नामजद अभियुक्तगण शिवराज पुत्र बालकराम व रोहित(काल्पनिक नाम) बाल अपचारी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। अन्य शेष नामित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। विवेचना के दौरान अभियुक्त शिवराज उपरोक्त की निशांदेही पर घटना कारित करने में प्रयोग की गयी लोहे की सरिया व अभियुक्त ब्रजेश उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद की गयी। अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. शिवराज पुत्र बालकराम निवासी ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिन्थरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
2. रोहित(काल्पनिक नाम) बाल अपचारी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक –

काँट कुरिया रोड पर ग्राम इमलिया के निकट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर, दिनाँक 21/03/2025

बरामदगी का विवरण–

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 1 अदद सरिया व 1 अदद लाठी

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –

क्र0सं0	नाम	आपराधिक इतिहास
1	शिवराज पुत्र बालकराम निवासी ग्राम कादरदादपुर उर्फ लिल्थरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर	मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS
2	रोहित(काल्पनिक नाम) बाल अपचारी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर	मु0अ0सं0 134/25 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/109(1)/131/115(2)/352/351(3) BNS

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह
2. निरीक्षक अपराध श्री सत्य सिंह
3. उ0नि0 श्री विक्रम कुमार
4. हे0का0 294 इन्दल सिंह
5. हे0का0 524 अमरपाल सिंह
6. का0 1945 तुषार वर्मा